कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

उपस्थित:- श्री दीपक कुमार,कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- सर्वश्री इफ्तिखार अहमद ठेकेदार,801 मलूकपुर बरेली

प्रा0प0सं0:- 200/2008

प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28-4-2008 को प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया गया है कि यू0पी0वैट एक्ट के अन्तर्गत धारा-6 मे समाधान का प्राविधान रखा गया है ।शासन द्वारा वैट अधिनियम लागू होने के उपरान्त प्रथम बार विज्ञप्ति क0नि0-2- 251/ग्यारह -9(2)/08-उ0प्र0अध्या0-37-2008-आदेश(5)-2008 दिनांक 04,फरवरी 2008द्वारा समाधान योजना लागू की गई है ।विज्ञप्ति मे उल्लेख किया गया है कि ऐसे व्यापारी जो प्रान्त के अन्दर से खरीदे गये माल के प्रान्त के अंदर पुनविक्रय का ही कारोबार करता है और जिसका किसी कर निर्धारण वर्ष हेतु माल के विक्रय का आवर्त न तो रु 50/- लाख से अधिक होने की सम्भावना है और न ही ऐसा आवर्त ऐसे कर निर्धारण वर्ष के पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष मे रु 50 लाख से अधिक था, विज्ञप्ति मे अंकित शर्तो के अधीन संदेय कर के स्थान पर एक प्रतिशत की दर से समाधान धनराशि के भुगतान का,अध्यादेश के अनुसूची दो ,तीन व पॉच मे उल्लिखित माल की बिक्री पर विकल्प ले सकता है । प्रार्थी द्वारा यह जानकारी चाही गयी है कि क्या संविदा कार्य करने वाले व्यापारी / ठेकेदार उपरोक्त समाधान योजना के प्रयोजनार्थ इस योजना को स्वीकार करने के पात्र है ?

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 24-6-2008को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी की गई । निर्धारित तिथि पर कोई उपस्थित नही हुआ अत: पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है ।

3- मैने धारा-59 के प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों का अवलोकन किया । वैट अधिनियम की धारा-2 (ac) मे बिक्री की परिभाषा में " **A TRANSFER OF PROPERTY IN GOODS (WHETHER AS GOODS OR IN SOME OTHER FORM) INVOIVED IN THE EXECUTION OF A WORKS CONTRACT** " को शामिल किया गया है । अत: संविदा कार्यो के लिए उक्त विज्ञप्ति मे निहित शर्तो व सीमा के अन्तर्गत समाधान योजना लागू होती है ।

4- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र मे उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय ।

दिनांक:: 18,सितम्बर 2008

ह0 18-9-2008

(दीपक कुमार)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

प्रमाणित प्रतिलिपि